सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डॉ० संजीव कुमार, स०वि०स० श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स०वि०स० श्री मिश्री लाल यादव, स०वि०स० श्री राम सिंह, स०वि०स० श्री सिद्धार्थ पटेल, स०वि०स० श्री अमन भूषण हजारी, स०वि०स० श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० श्री कुंदन कुमार, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री राम चन्द्र प्रसाद, स०वि०स०	"बिहार में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी के कारण बिहार के हजारों छात्रों को MBBS पढ़ाई के लिए निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक वर्ष नामांकन में 12,00,000/- तथा छात्रावास हेतु 3,00,000/-(कुल पंद्रह लाख रु०) खर्च करने पड़ते हैं । बिहार के गरीब मेधावी छात्र MBBS पढ़ाई के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हजारों आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राएँ मेडिकल की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जबकि यूक्रेन, नेपाल, चीन, फिलीपींस इत्यादि देशों में MBBS पढ़ाई के नामांकन तथा छात्रावास में प्रत्येक वर्ष मात्र 4-5 लाख रु० की लागत आती है, जिसके कारण बिहार के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है । बिहार के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पढ़ाई के खर्च में Fee Capping कर 4-5 लाख रु० प्रतिवर्ष करने तथा बिहार में और अधिक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण कर बिहार के होनहार और	स्वास्थ्य

	श्री बिजय सिंह, स०वि०स० श्री रामविलास कामत, स०वि०स० श्री दिलीप राय, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र मेहता, स०वि०स० डॉ० निक्की हेम्ब्रम, स०वि०स० श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स० श्री राजीव कुमार सिंह, स०वि०स०	मेधावी छात्रों के पलायन को रोका जा सकता है । अत: बिहार के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पढ़ाई के लिए Fee Capping करने तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	
2.	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स० श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	''सिवान जिला अंतर्गत सिवान के हसुआ-बंकामोड़-शाहपुर जानेवाली सड़क लगभग 18 कि०मी० लम्बी है । यह सड़क सिवान और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है । सिवान से बदली हसुआ तक 9 कि०मी० पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत है एवं बदली हसुआ से बंकामोड़-शाहपुर होकर प्रतापपुर झरही नदी तक लगभग 9 कि०मी० सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क की स्थिति अच्छी नहीं रहने एवं उसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण नहीं होने के कारण छोटे-बड़े वाहनों को उत्तर प्रदेश की सीमा से हसुआ बदली होते हुए स्पिनिंग मिल से सिवान तक आने में कठिनाई होती है । जिसके कारण सिवान जिला के गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित प्रतापपुर चीनी मिल में गन्ना ले जाने में दिक्कत होती है । अत: सिवान हसुआ बदली से बंकामोड़ होकर शाहपुर-प्रतापपुर चीनी मिल तक ग्रामीण कार्य विभाग के 9 कि०मी० सड़क को पथ निर्माण विभाग में लेकर पथ निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	ग्रामीण कार्य/ पथ निर्माण

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/2022- 891 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/2022- 891 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/2022- 891 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/2022- 891 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

2/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।